



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

उल्लंघन पत्र  
स्पीड पोस्ट/ई-मेल



No- CHG/DRG/M. Sand-2/RPR

खान कोड- 42CHG05001

दिनांक :- 18/05/2022

प्रति, श्री महेन्द्र कुमार सेकसरिया,  
वार्ड नं. - 36, गंजपारा,  
पोस्ट एवं जिला - दुर्ग,  
छत्तीसगढ़ - 491001  
Email : mkseksaria@gmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी करहीडीह (Karhidih) मौलिंग सेन्ड खान क्षेत्रफल - 4.047 है. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 08.12.2021 को अरुण कुमार गडतिआ, सहायक खनन अभियंता द्वारा Shri Mahendra kumar Seksaria (Owner) के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26(2)	The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reasons thereof, <b>but the same not submitted for the year 2020-21 till date.</b>
55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,- 3. every holder of a mining lease shall employ, in case of- (iv) category 'B' mines, a part-time mining engineer and a part-time geologist: <b>But it was observed that part-time Mining Engineer &amp; Geologist not appointed.</b>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस 26(2) एवं 55 नियमों के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम के अंतर्गत  
(क) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिभीघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

( देबदुर्लभ दाश )  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (By email)

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440 001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर